दिए जाने के उपरान्त भी संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया। साथ ही अनुपस्थिति भी उपरोक्त वाद में वादी की अरूचि दर्शाती है जिससे न्यायालय का समय भी ज़ाया होता है। अतः उक्त वाद अदम तक्मील में खारिज किया जाता है। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

पुनश्चः वादी अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं देर से उपस्थित होने का कारण स्पष्ट करते हुए इस बाबत् प्रा० पत्र पेश किया कि संशोधित शीर्षक आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। अतः वाद खारिज न करते हुए, अवसर दिया जाए। अतः पूर्व आदेश को वापिस लिया जाकर संशोधित शीर्षक शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी कायम मुकाम और प्रतिवादी स्त्रोत आयन्दा 17/03/21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

25-02-21 वादी मय वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी मय प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली तलबी हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली तलब की [illegible] वादी की पहचान वादी अधिवक्ता [illegible] -गणों की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा स्थापित की गई। साथ ही वादी का आधार कार्ड, प्रतिवादी सं. 1 का आधार कार्ड एवं प्रतिवादी सं. 2 का D/L पहचान [illegible] शामिल पत्रावली किए गए। राजीनामा [illegible] पत्र पेश करते हुए प्रतिवादी

Identified by [illegible]

रामलाल

गोविन्द

क्रमशः...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2021.03.17 18:24:00 IST
Reason: SelfAttested

-गणों द्वारा कथन किया गया कि विवाद-
ग्रस्त आराजीयात में से आराजी सं.
433, 434, एवं 435 को वादी के पिता
स्व. रतनजी लौहार ने नीम गणेश मंदिर
को दान कर दिया था तथा उक्त आराजी
से सटी हुई आ० स० 428 रकबा 0.11 है.
जो कि वादी के खाते, कब्जे एवं
स्वामित्व की है। साथ ही कहा कि दोनो
पक्षों के मध्य उक्त आराजीयात के
संबंध में राजीनामा हो गया है तथा
अब किसी प्रकार का कोई विवाद हमारे
मध्य शेष नहीं है। प्रतिवादी व उनके
परिवार-जन का उसमें किसी प्रकार
का कोई हक व अधिकार नहीं है
न ही भविष्य में किसी प्रकार की
कोई मॉंग करेंगे। उभयपक्ष ने राजीनामे
अनुसार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन
किया।

उक्त प्राथना-पत्र में वर्णित तथ्यो एवं
कथनों पर विवेचन किया गया और
साथ ही वर्तमान (संवत् 2075-2078) जमाबंदी
का अवलोकन किया गया। चूंकि वादी
खसरा सं. 428 मौजा घाणी तहसील
खेरवाड़ा का रिकॉर्डेड खातेदार एवं कब्जा
काश्त है; साथ ही प्रतिवादी-गण का
उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का
कोई हक या हिस्सा स्थापित नहीं होता
है - जिसे प्रतिवादी-गणों द्वारा राजीनामे
में स्वीकार भी किया गया। उक्त
राजीनामा स्वीकार [illegible] प्रतिवादी
-गणों के विरुद्ध इस आशय की स्थाई
निषेधाज्ञा जारी किए जाने के निर्देश
दिये जाते है कि वे वादी के रिकॉर्डेड
खाते की भूमि आराजी सं. 428 रकबा
0.11 है., मौजा घाणी, पटवार हल्का घाणी,
तहसील खेरवाड़ा, पर किसी तरह का
[illegible]

Identified by
[illegible]
प्रमाणित
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2021.03.17 18:24:00 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतिक्रमण नहीं करें, वादी के साथ झगड़ा-फसाद नहीं करे, वादी पक्ष को उक्त आराजी सं. 428 का सम्पूर्ण भूमि का उपयोग-उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे, न हि अपने रिश्तेदारों, जाती बंधुओं, नौकर अथवा अन्य किसी से करावे। पत्रावली फैसल-शुमार होकर संख्या से कम की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2021.03.17 18:24:00 IST
Reason: SelfAttested